

डिक्री एवं मुकदमे ईबतदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 561/2025

1 सोहनलाल भांभू पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ

2 देव पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ ना.ज.कु.वली माता सुमित्रादेवी पत्नी सोहनलाल भांभू जाति जाट
निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

3 श्रेय पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ ना.ज.कु.वली माता सुमित्रादेवी पत्नी सोहनलाल भांभू जाति जाट
निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

रमनजीत कौर पत्नी राजवीर सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ

-वादीगण

बनाम

तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के
समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध
वकील वादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री
दी जाती है कि चक 2 एम.एम.के. खाता स. 28/66 खाता देव वगैरा ज.स.
2071-74 में वादीगण का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम
किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व
रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। दावा की दफा 3 निम्नप्रकार से है:-

वादी स. 1 ता 3 सोहनलाल भांभू पुत्र हरदयाल, देव, श्रेय, पिसरान सोहनलाल
का ब.हि.ब. का कब्जा:-

चक 2 एम.एम.के.

164/202 37 5/.164 = 0.164 है0 आराजी

165/202 38 1/.177 = 0.177 है0 आराजी

वादी स. 4 रमनजीत कौर पत्नी राजवीर सिंह का कब्जा:-

चक 2 एम.एम.के.

169/204 57 1/.253 = 0.253 है0 आराजी

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल
दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.

.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी

सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 14.1.2026.....को
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया